E.M. 12.3.20

संख्या- UO-13/1-6-2020-छः-पु-6-2020-300(86) /2000

गृह (पुलिस)अनुभाग-6

प्रेषक,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
गृह विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग-6 — लखनऊः दिनांक 6 मार्च 2020

विषयः **जनपद- आगरा के आगरा उत्तर विधान सभा क्षेत्र में नवीन थाना स्थापना हेतु सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन** मौजा लश्करपुर में राजकीय आस्थान (नान जेड0 ए0) की भूमि गाटा संख्या-495 रकबा 1-0-13 बीघा/ 0.2380 है0 में से 1590 वर्गमीटर भूमि गृह विभाग को 90 वर्ष के पट्टे पर नि:शुल्क आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या-3871/प-130/डीएलआरसी दिनांक 16 जुलाई, 2019 व पत्र संख्या-4111/प-133/डीएलआरसी दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-आगरा के पत्र संख्या-भ-128/2018(भूमि) दिनांक 21-06-2019 व उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज के पत्र संख्या- आधु0-3/क-92-2018 दिनांक 01 अगस्त, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव तथा सिंचाई विभाग की समस्त निष्प्रयोज्य भूमि के निस्तारण के संबंध में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2050/05-27-सिं0-3-8 एल0/2005 दिनांक 03-10-2005 द्वारा गठित समिति के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक संख्या-81/ प्र0अ0/अनि/अनिम-6-/यू-2/तद्दिनांक 20 जनवरी, 2020 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद- आगरा के आगरा उत्तर विधान सभा क्षेत्र में नवीन थाना स्थापना हेतु सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन** मौजा लश्करपुर में राजकीय आस्थान (नान जेड0 ए0) की भूमि गाटा संख्या-495 रकबा 1-0-13 बीघा/ 0.2380 है0 में से 1590 वर्गमीटर भूमि, जिसका विवरण निम्नवत् है, लोक हित में गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट 1895 के प्राविधानों के अन्तर्गत 90 वर्ष के लिए पट्टे पर नि:शुल्क हस्तान्तरित किये जाने की महामहिम श्रीराज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

भूमि का विवरण

क्रमांक	जनपद/ तहसील	राजस्व ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (है0)/ वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
1	आगरा/ सदर	लश्करपुर	गाटा संख्या-495 क्षेत्रफल 0.2380है0	स्तम्भ-4 में अंकित गाटा में से 1590 वर्ग मीटर

(क) प्रस्तावित भूमि जनपद आगरा के मौजा लश्करपुर में नया थाना की स्थापना हेतु प्रथमत: 90 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जायेगी, जिसे 30-30 वर्ष के लिए नवीनीकृत कराने का प्राविधान होगा।

(ख) भूमि पर स्वामित्व राजस्व विभाग का ही बना रहेगा। इस भूमि का उपयोग जनपद आगरा के मौजा लश्करपुर में नया थाना की स्थापना हेतु किया जायेगा। उक्त प्रयोजन समाप्त हो जाने पर यह भूमि इससे भिन्न् प्रयोजन हेतु उपयोग करने पर अथवा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होने पर भूमि पुन: राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी और पट्टा स्वत: समाप्त माना जायेगा।

(ग) पट्टेदार द्वारा ऋण लेने के प्रयोजन से भूमि को किसी राष्ट्रीयकृत/ वित्तीय संस्था में बन्धक रखने के पूर्व शासन की लिखित अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(घ) पट्टा असंक्रमणीय होगा अर्थात् पट्टेदार को पट्टा शुदा भूमि को किसी व्यक्ति/ संस्था/संगठन आदि को अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।

(च) पट्टा-विलेख को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराया जायेगा और इस हेतु स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क पट्टेदार के द्वारा वहन किया जायेगा।

(छ) भूमि का उपयोग आंवटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वत: निरस्त समझा जायेगा।

(ज) पट्टा विलेख का निष्पादन गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट 1895 एवं सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्धन से संबंधित नियमावली, 1987 यथा संशोधित नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त भूमि अपरिहार्य परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप गृह पुलिस विभाग को पट्टे पर दी जायेगी। भविष्य में इसे दृष्टांत नहीं माना जायेगा। पट्टा विलेख का निष्पादन श्रीराज्यपाल महोदय की ओर से जिलाधिकारी, आगरा द्वारा किया जायेगा।

2- कृपया तद्नुसार प्राथमिकता पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

05/3/2022

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- - UO-13/1-6-2020-(1)/छः-पु-6-2020-300 (86)/2014 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा- प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
4. **समस्त** अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय कार्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, (**जोन**), आगरा।
6. मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
7. जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को उपर्युक्तानुसार समयबद्व कार्यवाही किये जाने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने हेतु प्रेषित।
8. पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक- (**रेन्ज**) आगरा।
9. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
10. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ
12. अपर जिलाधिकारी (प्र0) जनपद- आगरा।
13. उप जिलाधिकारी, सदर, जनपद-आगरा।
14. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, सिंचाई कार्य, आगरा।
15. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
16. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0शासन।
17. सिंचाई अनुभाग-3, उ0प्र0शासन।
18. वित्त-ई-12, उ0प्र0शासन / राजस्व अनुभाग-6 ।
19. **गृह पुलिस अनुभाग-7 उ0प्र0शासन**।
20. मीडिया सेल, गृह विभाग।
21. **गृह नियंत्रण कक्ष**, उ0प्र0शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा सर्वसंबधित को ई-मेल/ फैक्स कराने का कष्ट करें।
22. गार्ड बुक/ संबंधित स0अ0।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)

विशेष सचिव।